इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2012—वैशाख 7, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 7 मई से 8 जून 2012 तक तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ-साथ दिनांक 6 मई 2012 एवं 9, 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

क्र. ई. 5-544-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रवीण गर्ग, आयएएस., आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 9 से 16 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खनिज साधन विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खाण्डेकर, खनिज साधन विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल (मध्यप्रदेश), ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 21, 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल (मध्यप्रदेश), ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-836-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 16 अप्रैल से 18 मई 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्रीमती रेणू पंत, आयएएस., संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेणू पंत, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2011 एवं 21, 22 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-1-255-2011-5-एक.—राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017-49-2011-एआईएस-1, दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा अनुमोदन उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) के अंतर्गत डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे (मध्यप्रदेश 1999) कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा की सेवाएं मध्यप्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी (AGMUT) संवर्ग में डिप्टी कमिश्नर, मिन्युसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-386-2012-5-एक.—भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/45/2011—एआईएस—I, दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा सुश्री शनमुगा प्रिया आर. भाप्रसे (2010) की सेवाएं तमिलनाडू संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. एफ 3-6-2011-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल 2012 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-870-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, महू, जिला इन्दौर को दिनांक 2 सें 10 फरवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, महू, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-137-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अजिता वाजपेई पाण्डे (1981) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का अतिरिक्त प्रभार.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	-
2	श्रीमती अमिता शर्मा (1981) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा साप्रवि (कार्मिक).	विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार [अवकाश से लौटने पर तथा श्री अनिल जैन, भाप्रसे (86) विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश, नई दिल्ली की सेवाएं, भारत सरकार को सौंपे जाने पर].	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	श्री डी. के. सामंतरे (1982), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-
4	श्रीमती सुरंजना रे (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग तक प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.	-
5	श्री बी. पी. सिंह (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
6	श्रीमती विजया श्रीवास्तव (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-
7	श्री दीपक खाण्डेकर (1985) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8	श्री मनोज श्रीवास्तव (1987) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री प्रवीर कृष्ण (1987) भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	-
10	श्री संजय सिंह (1987), प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	-
11	श्री शैलेन्द्र सिंह (1988), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
12	श्री जे. एन. कंसोटिया (1989), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	-
13	श्री एस. के. मिश्रा (1991) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	-
14	डॉ. रवीन्द्र पस्तौर (1992) कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम).	संभागीय कमिश्नर
15	डॉ. मनोहर अगनानी (1993) मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम).	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश	-
16	श्री मनीष रस्तोगी (1994) अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर.	आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
17	श्री सुखवीर सिंह (1997), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
18	श्री अमित राठौर (1996), संचालक बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	-
19	श्री महेशचन्द्र चौधरी, भाप्रसे आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.	कलेक्टर छिन्दवाड़ा.	-

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982), सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे (1991) द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे (1982) प्रमुख सचिव, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(5) उपरोक्तानुसार श्री संजय सिंह, भाप्रसे (1987) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश, भाप्रसे (1985) वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग केवल प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आर. एन. भार्गव, उप संचालक अभियोजन, ग्वालियर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रूपकुमार सक्सेना, उप संचालक अभियोजन, जबलपुर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुलक्षण कुमार गौड़, उप संचालक अभियोजन, इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1 (सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एल. एस. कदम, उप संचालक अभियोजन, भोपाल को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 4065-एस.डब्ल्यू.-2012.—मैं, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 व दिनांक 29 मार्च 2012 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से, भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये, लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम, 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चून/अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 11.00 से प्रातः 5.00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है. यात्री/स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. सह.अधि.-रीडर-2012-681.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 4 मई 2012 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग, उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्द्वारा सर्वसधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. सह.अधि.-2012-स्था.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2012 से 15 जून 2012 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

(2) तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक (बारह दिन) ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे. जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

(3) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

उमरिया, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 1577-एस. डब्ल्यू.-2012.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क-15-99-बी.-3-2), भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2011 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर उमरिया जिले के ग्राम मछेहा, बिछिया, कलौरी, पड़ेरा, महोबादादर, टकटई, बैरग, कलदा, ईशनपुरा, मझोली, अमवारी, चंगेरा, बधवाटोला एवं पोंडी ग्रामों को थाना पाली के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित कर उमरिया जिले के थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत में सम्मिलित किया जाता है. तदानुसार उपरोक्त सभी 14 ग्राम थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत सम्मिलित माने जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, पदेन उपसचिव,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा (पंचम तल) विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 1323-मप्रविनिआ-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 135 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती इकाइयों के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च पद श्रेणी के अधिकारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत करता है :—

(क) विद्युत् की चोरी के पता लगने पर, विद्युत् के प्रदाय का तुरन्त असंयोजन करना;

(ख) ऐसे असंयोजन के समय से 24 घंटे के अन्दर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने में ऐसे अपराध के कारित किये जाने से संबंधित परिवाद लिखित करना.

No. 1323-MPERC-2012.—In exercise of powers conferred by sub-section (1A) of Section 135 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby authorizes the officers of the rank of Junior Engineers and higher of MPSEB or its successor entities to carry out the following functions :—

(a) To disconnect the supply of electricity to the premises upon detection of theft of electricity;

(b) To lodge a complaint in writing relating to the commission of such offence in police station having jurisdiction within twenty four hours from the time of such disconnection.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1-भू-अर्जन-11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सोंठिया	0.292	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा.	सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.
		गेहूँखेड़ी	0.126		
			योग . . 0.418		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 036-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देईधर	निजी भूमि 25.57 एवं शासकीय भूमि रकबा 27.72 कुल रकबा 53.29	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 037-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पडरहा	निजी भूमि 57.06 एवं शासकीय भूमि रकबा 33.35 कुल रकबा 90.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 041-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	झबरहा	निजी भूमि 193.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 57.63 कुल रकबा 250.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रामपुर	निजी भूमि 30.13 एवं शासकीय भूमि रकबा 29.19 कुल रकबा 59.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 907-रीडर-1-2012-राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर	डाबतलाई	0.04 0.45 योग . . 0.49	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, झाबुआ.	पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण परियोजना अंतर्गत मोद नदी पर इन्टेकवेल निर्माण जल शुद्धीकरण यंत्र, भण्डार, चौकीदार क्वाटर आदि निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल 2012

पत्र क्र. 1380-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	देहण्डी	3.05 योग . . 3.05	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की देहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. 699-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बम्हौरी चौथ	1.323	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर सम्भाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 795-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	0.61	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 797-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रघुनाथपुर	1.733	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 799-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	0.44	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 801-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	3.49	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र.-3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 803-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	4.07	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 805-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	2.32	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. -1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 808-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बीरपुर	1.30	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. -1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 809-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मझिगवाँ	0.234	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. -1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 811-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मऊँ	2.178	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र.-6 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 558-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12-1693.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर	2.805	महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश.	एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड को 2×660 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत् परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 486-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	जैतपुर	281	0.48	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र.)	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दांया तट नहर के निर्माण हेतु.
			282/2	0.48		
		योग . .	02	0.96		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. कार्यालय करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	ऐमागिर्द	1.245	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर.	गुरुद्वारा से ताप्ती हास्पीटल तक सड़क निर्माण.
		बाड़ाबुजुर्ग	1.861		
		लालबागमाल	0.505		
		योग. .	3.611		

भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	शाढ़ौरा	कॉकड़ा	0.195	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर.	कॉकड़ा स्टापडेम कम कॉजवे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-125-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	सहवाजपुर	110.039	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, (म. प्र.).	बरखेडा छज्जु बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पति का विवरण भू-अर्जन, अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-126-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	सेपरा	0.302	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, (म. प्र.).	सोवत स्टॉपडेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 13 अप्रैल 2012

रा. प्र. क्र. 011-अ-82-2011-12-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम प. ह. नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बहोरीबंद	जुझारी 33/15	1.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, कटनी.	जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 16 अप्रैल 2012

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	पौडी महाराज सींग	4.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.	करारिया जलाशय के बांध एवं नहर क्षेत्र.
दमोह	जबेरा	चौपरा (चंडी)	3.36	-,,-	-,,-
दमोह	जबेरा	जमुनिया	0.58	-,,-	-,,-
		कुल योग . .	8.04		

भूमि का नक्शा (स्थान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2011-12-263.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			शीर्ष कार्य निजी भूमि			
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुकर्रा	296	3.710	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	कुकर्रा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी व बांयी तट नहर कार्य हेतु.
		प.ह.नं.	291	1.910		
		111 रा.	288	1.000		
		नि.मं. राई	312	0.920		
			319	1.580		
			307	0.210		
			310	1.360		
			308	1.160		
			290	1.560		
			292	0.820		
			298	0.400		
			301	0.200		
			302	0.200		
			313	1.580		
			319	1.050		
			320	3.100		
			योग शीर्ष कार्य . .	20.760		
			बॉयी तट नहर			
			205	0.050		
			295	0.680		
			322	2.140		
			294	0.170		
			293	0.030		
			281	0.200		
			259	0.260		
			102	0.160		
			53	0.040		
			269	0.030		
			264	0.130		
			266	0.120		
			267	0.160		
			98	0.060		
			99	0.160		
			101	0.240		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			89	0.140		
			91	0.170		
			87	0.080		
			24	0.140		
			28	0.200		
			33	0.120		
			336	0.080		
			34/2	0.080		
			34/1	0.070		
			47	0.200		
			348	0.100		
			52	0.140		
			6	0.100		
			347	0.090		
			192	0.050		
			191	0.040		
			174	0.040		
			175	0.050		
			191	0.090		
			178	0.050		
			158	0.070		
			153	0.070		
			157	0.100		
			योग बांयी तट . .	6.900		
			दॉयी तट नहर			
			223	0.020		
			324	0.090		
			248	0.350		
			247	0.190		
			228	0.060		
			225	0.110		
			232	0.050		
			335	0.120		
			339	0.180		
			341	0.090		
			343	0.110		
			349	0.070		
			211	0.150		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			209	0.100		
			योग दॉयी तट . .	1.690		
			कुल योग निजी भूमि . .	29.350		
			शासकीय भूमि			
			311			
			309			
			300			
			287			
			283			
			9	1.960		
			332			
			229			
			227			
			337			
			208			
			योग शास. भूमि	1.960		
			कुल अर्जित भूमि	31.310		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 4184-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	दुर्गापुरा	21.832	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	दुर्गापुरा तालाब के डूब एवं वेस्टवियर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	21.832		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र.-01-अ-82-2011-12-218.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाखुर्द	कुल किता 16	8.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना (बांध+डूब क्षेत्र).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-02-अ-82-2011-12-220.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाकलॉ	कुल किता 23	15.098	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना (बांध+डूब क्षेत्र).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-03-अ-82-2011-12-222.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	मानकचौक	कुल किता 34	9.583	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना (बांध+डूब क्षेत्र).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-04-अ-82-2011-12-224.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाखुर्द	कुल किता 14	2.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना. (नहर-प्रणाली).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-05-अ-82-2011-12-226.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	केकडयाकलॉ	कुल किता 08	1.692	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.	केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना, (नहर-प्रणाली).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 30-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	पारसेन	10.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.
		कुल योग . .	10.18		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 31-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुनारपुरा माफी	1.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.
		कुल योग . .	1.49		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 37-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	सूखा पठा	10.126	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	सिंध रमौआ नहर की 2-आर मायनर के निर्माण हेतु.
		कुल योग . .	10.126		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 52-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	मकोड़ा	1.060	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
		कुल योग . .	1.060		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 54-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	कल्याणी-I	13.803	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
		कुल योग . .	13.803		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 55-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	भीमवाड़ा	2.594	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
		कुल योग . .	2.594		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 56-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	कल्याणी-II	19.363	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
		कुल योग . .	19.363		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 31-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	जगतपुर	7.484	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर मइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	बछौन	4.170	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	बिलहरी	0.393	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी मइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	छठी बम्हौरी	1.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 612-वाचक-प्र. क्र.-28-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	झापड़ी	2.445	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20, मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 636-वाचक-प्र. क्र.-29-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	गुराड़िया	15.506	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20, मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 618-वाचक-प्र. क्र.-31-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	गुलाटी	10.752	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 624-वाचक-प्र. क्र.-32-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	रनतलाव	11.769	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 630-वाचक-प्र. क्र.-33-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	देदला	11.145	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 641-वाचक-प्र. क्र.-27-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	भैसावद	10.596	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 647-वाचक-प्र. क्र.-30-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	दसवी	10.263	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 673-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	बालीपुर	16.380	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 12 मार्च 2012

क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—सुनवाहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.792 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
914	0.250
886	0.250
885/9	0.090
884/1/1	0.190
884/12	0.140
881/1	0.200
852	0.020
880	0.050
854	0.160
855	0.060
712	0.140
711	0.170
691	0.015
687	0.015
689	0.110
690	0.130
698	0.080
696	0.070
697	0.070
359	0.060
699	0.010
360	0.010
361	0.020
362	0.060
366	0.200
369	0.008
425	0.200
426	0.060
424	0.030
420	0.110
417	0.140
418	0.080
419	0.012
487	0.070
486	0.060
488	0.120
513	0.220
519	0.190
517/1	0.200
517/2	0.150
543	0.130
544	0.120
542/3	0.180
542/4	0.120
479	0.010
480	0.010
879	0.002
योग . .	4.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—नयाखेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.932 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
368	0.345
374	0.075
365/1	0.155
328	0.195
344	0.049
345	0.327
356	0.055
392/2	0.045
391/2	0.021
390/1	0.080
390/2	0.080
449	0.040
422/1	0.140
422/2	0.140
430	0.615
437	0.080
439	0.190
447	0.020
448	0.190
450	0.035
451	0.055
योग . .	2.932

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—मोहनगढ़
(ग) ग्राम—खैरा जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.460 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
687	0.020
686/2	0.300
686/1	0.300
688	0.030
689	0.160
690/1	0.020
728/1ख जुज	0.200
728/2	0.200
728/1ख	0.040
727	0.060
724	0.190
719/3	0.140
784/1	0.060
787	0.030
803/2	0.030
801	0.070

(1)	(2)
802	0.070
800	0.150
808	0.030
810	0.030
816	0.110
815	0.080
1027/4	0.140
1027/3	0.140
1027/2	0.140
1027/1	0.100
1020/2	0.110
1020/1	0.080
1012/4	0.020
1012/6	0.080
1012/2	0.140
1039/2	0.030
1039/3	0.060
1047/2	0.140
1049/2	0.140
1050/3	0.030
1027/11	0.150
722/1	0.040
721	0.120
814	0.160
1027/5	0.180
1040/1	0.070
1047/1	0.070
योग . .	4.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.-भू-अर्जन-36(अ-82)2011-12-236—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.800 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
दायीं तट नहर कार्य	
81	0.070
83	0.030
84	0.100
85	0.020
91	0.060
92/1	0.060
93	0.030
94	0.060
95/1	0.040
99	0.030
98	0.070
102	0.070
104	0.040
105	0.100
110	0.020
योग . .	0.800
शासकीय भूमि	
31, 32, 41, 90, 103, 223, 107	0.56
शासकीय भूमि—योग . .	0.56
कुल योग . .	1.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 5 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 13-अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) नगर/ग्राम—फतेहपुर, देवदरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.55 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम—फतेहपुर	
217	0.50
235/1 में से	0.08
215	0.32
119	0.52
132/1 में से	0.27
132/2 में से	0.26
151	1.13
200/2	0.40
203/1, 2 में से	0.50
214 में से	0.68
216 में से	0.20
219/2 में से	0.40
235/2, 3 में से	0.25
220 में से	0.16
ग्राम—देवदरा	
37/1 में से	0.09
43/2	0.58
71 में से	0.06
81/3 में से	0.15
योग . .	6.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—फतेहपुर जलाशय योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 1-अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत तथा 1894 की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान हो जाने व इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा

(ग) नगर/ग्राम—विनती

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (में से)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
418/2 में से	0.23
420 में से	0.44
419 में से	0.02
408 में से	0.62
409 में से	0.26
411 में से	0.10
401/1 में से	0.29
401/3 में से	0.14
योग . .	2.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—विनती जलाशय योजना की छूटी हुयी भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 1-अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—पटेरा

(ग) नगर/ग्राम—सारंगपुरा, बेलखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.71 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (में से)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178/1 में से	0.51
462/1 में से	0.05
462/3 में से	0.03
459/2 में से	0.02
459/4	0.01
431/6 में से	0.09
योग . .	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सारंगपुरा जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—सनाई
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—5.18 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
264	0.10
265	0.05
672	0.01
678	0.02
266	0.07
605	0.01
606	0.05
608	0.07
630	0.05
607	0.01
721	0.11
622	0.07
623	0.05
625	0.04
626	0.02
627	0.01
631	0.05
651	0.01
653	0.03
723	0.06
654	0.07
1568	0.12
1567	0.15
1569	0.18
1573	0.06
677	0.08
675	0.01
676	0.04
715	0.06
680	0.02
681	0.05
(1)	(2)
720	0.09
722	0.05
903	0.17
724	0.02
737	0.01
901	0.01
904	0.07
906	0.25
921	0.22
907	0.10
917	0.02
1500	0.02
1501	0.02
1503	0.03
1504	0.28
1574	0.05
1570/2	0.07
1571	0.16
1586	0.02
350/1/1	0.12
350/1/2	0.04
351/1/2	0.05
350/2	0.05
350/3	0.05
350/4	0.10
350/5	0.03
351/1/1	0.06
351/1/3	0.16
351/2	0.07
351/3	0.15
351/4	0.06
831	0.12
832	0.01
833	0.14
834	0.15
835	0.11
836	0.10
1564	0.04
1565	0.01
1566	0.02
1572	0.11
1575	0.04
योग :	5.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की एल. एम. 1, एल. एम. 2/डी. 8, एस. एम. 1/एल. एम. 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—बिल्हारीकला
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.69 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
633	0.10
634	0.13
640/2	0.30
649	0.15
650	0.06
653	0.12
654	0.06
669	0.26
663/1	0.01
663/2	0.02
664	0.14
666	0.01
667/2	0.25
667/3	0.05
670	0.03
योग :	1.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की एल. एम. 3/डी. 8, एस. एम. 1/एल. एम. 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. 04-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्रमांक 675-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692-एक-1-116-2011, जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—. . . .
(ग) ग्राम—कमती
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.392 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10/1, 10/3	0.016
11/2	0.053
11/1	0.194
11/3	0.219
11/4	0.301
11/5	0.105
15	0.251

(1)	(2)
18	0.340
34/1	0.413
35/1	0.146
35/2	0.024
17/1	0.170
11/6	0.055
17/2	0.105
योग :	2.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है.

क्र. 07-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्रमांक 674-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692-एक-1-116-2011, जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—. . . .
(ग) ग्राम—छोटा छिन्दवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.745 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
177/1, 178	0.790
149/4, 151/2	0.666
152/7	0.259
152/2	0.045
149/3, 150, 151/1, 152/1	0.731
142/1	0.551
149/10	0.105
149/2/1	0.010
92/1	0.373
93/2	0.198
93/4	0.174
93/1	0.239
93/3	0.089
136/2	0.753
94/5, 94/20, 94/21	1.762
योग . .	6.745

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 288-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर
(ग) ग्राम—बरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
395/1	0.24
397	0.04
780	0.02
781/1	0.01
782	0.07
798	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
803	0.03	1004	0.24
804	0.01	1079	0.04
805	0.02	1165/1/1	0.12
806	0.02	1208	0.08
807	0.06	1209/1	0.03
816	0.05	1209/2	0.02
818/1	0.05	1223	0.01
818/2	0.05	1224/1	0.04
818/3	0.05	1224/2	0.04
823	0.01	1225	0.14
839	0.03	1242	0.08
844	0.05	1290/1	0.01
846	0.01	1291	0.01
848	0.02	1292	0.01
849	0.02	1294	0.01
851	0.03	1295	0.01
858/1	0.05	1297	0.03
852	0.02	1298	0.03
859	0.02	1300	0.02
860	0.06	1304	0.08
902	0.04	1305	0.01
903	0.03	1306	0.03
907/1	0.02	1310/2	0.07
907/2	0.02	1317/2	0.03
908/1	0.05	1322	0.01
908/2	0.05	1323	0.02
909	0.01	1324	0.01
961/1/1	0.03	1325	0.02
963	0.11	1326	0.02
964	0.07	1330	0.04
967/1/1	0.14	1331/1	0.02
968	0.13	1332	0.01
971/1	0.05	1333	0.03
971/2	0.04	1341	0.01
980	0.08	1366	0.05
981/1	0.03	1387/1	0.04
982	0.17	1389	0.02
985	0.08	1400	0.07
990	0.26	1401	0.06
996	0.25	1405	0.04
997	0.05	1408	0.04
998	0.1	1409	0.02
1000/1	0.06	1410	0.02
1000/2	0.06	1411	0.03
1002	0.4	1412	0.04
1003	0.06	1462	0.01

(1)	(2)
1505	0.05
1506	0.03
1621	0.01
1622	0.01
1623	0.01
1808	0.04
1809	0.01
1811	0.02
1812	0.01
1815	0.09
1816	0.04
1820	0.03
1821	0.03
1822	0.01
1840	0.02
1841	0.02
1843	0.03
1849	0.02
1860	0.03
1866	0.05
1867/1	0.01
1867/2	0.01
1868/1	0.02
1868/2	0.02
1868/3	0.02
1868/4	0.01
1869/1	0.01
1869/2	0.01
1877	0.02
1878	0.04
1879	0.01
1880	0.01
1885	0.01
1886	0.02
1887	0.03
1888	0.01
1889	0.01
1896	0.03
1897	0.04
1958/1	0.01
2109/1	0.03
2111/1	0.03
2112	0.03
2114	0.03
2118	0.06
2152	0.11
2153	0.03
2161/1	0.02
2161/2	0.01
2162	0.02
2163	0.02
2164	0.03
2167/2	0.06
2168	0.08
योग . .	6.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरका मेन नहर एवं माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 744-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ग्राम—पैपखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.049 हेक्टेयर (छूटे हुए).

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
170/4	0.037
171	0.012
योग . .	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 787-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—कबरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.140 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
53	0.283	0.060
95	0.579	0.080
	योग . .	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 789-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.498 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
23/1	0.676	0.028
23/2/2	0.083	0.020
63/2	0.405	0.060
81	0.656	0.040
82/2	0.102	0.028
83/2	0.455	0.044
22/5	0.086	0.032
610/1	0.658	0.485
579/2	0.016	0.016
580	0.145	0.101
581	0.178	0.120
69	0.628	0.101
71	0.615	0.101
442	0.781	0.110
837/2	0.052	0.020
838	2.08 डि.	0.036
837/1	0.79 डि.	0.156
	योग . .	1.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 791-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम— डिहिवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.101 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
120	0.259	0.061
121	0.150	0.040
	योग :	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 793-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बगढ़ा 338
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.152 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
123	0.036	0.032
348	0.172	0.120
	योग :	0.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 813-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—टकटैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2468	0.03
2522	0.04
योग (अ)	0.07
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
निरंक	निरंक
योग (ब)	-
महायोग (अ+ब)	0.07

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=0.07 हे.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=निरंक

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा=0.07 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 12 अप्रैल 2012

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12-भू. अ. अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बहोरीबंद
(ग) ग्राम—जुझारी, कैमोरी प.ह.नं. 33/15
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.54 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
01/811	0.21
02	0.01
04	0.10
05	0.20
18	0.13
15/1	0.05
15/2	0.10
15/3	0.07
16/1	0.10
16/2	0.11
81	0.12
28	0.05
31	0.04
714/2	0.45
714/5	0.05
714/6	0.28
714/13	0.07
722/1-2-3-4	0.15
719	0.02
720	0.01
721	0.22
कुल रकबा . .	2.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—जुझार कल्हैया जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 12 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 17-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—कजरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.628 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/1	0.260
110/2	0.026

108/1	0.020
108/3/1	0.010
108/3/2	0.010
108/3/3	0.018
36/1/2	0.030
36/2क	0.014
36/2ख	0.010
55/1/1	0.037
55/3/2	0.091
55/3/1	0.102
योग :	0.628

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—छेवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.844 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/2/1	0.085
23/1/2	0.070
13/1	0.170
14	0.064
3/5/2	0.102
15/2/3	0.084
3/5/1	0.084
3/3क	0.075
3/8	0.025
3/3/3	0.075
3/4	0.010
योग :	0.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.501 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389/3	0.072
389/2	0.065
383/1	0.030
383/2	0.104
382/2/2	0.133
384/2	0.010
396/1	0.036
397/1/1	0.097
397/2/2	0.100
386/3	0.075
386/2	0.010
399/1/1	0.046
399/1/3	0.046
378/1क	0.140

(1)	(2)
378/1ख	0.140
377/1क	0.018
377/1ख	0.122
376/13क	0.108
403/1/2	0.040
403/1/3	0.030
403/1/6	0.030
403/1/7	0.030
403/1/8	0.074
403/2	0.100
9/2	0.133
9/1	0.133
9/3	0.097
4/2	0.047
274	0.010
273	0.039
275	0.010
276/1	0.093
278	0.104
279	0.018
177/2	0.079
155/1	0.108
44/2	0.223
44/1	0.194
130/2	0.080
124/1	0.015
124/2	0.126
101/1ख	0.077
91, 100/1	0.169
94/2	0.054
942ख	0.036
योग :	3.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—रूपेटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.330 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/1/3	0.091
115/1	0.100
128	0.030
129/2	0.018
127/1	0.182
124/1	0.075
124/2	0.075
82/2/1	0.010
81/1	0.090
80/1	0.040
80/2	0.105
75	0.200
74/2	0.175
80/4	0.046
43	0.144
42/2/2	0.162
42/1क	0.054
40/2	0.068
41/1	0.061
21/1	0.010
21/2	0.080
22/1	0.150
22/123	0.066
5/1	0.025
5/2	0.025
5/3	0.043
3	0.205
योग :	2.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

लखनादौन, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. 893-कलेक्टर-भू.अ.-2012-1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—छपारा

(ग) ग्राम—खापा, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
285	0.37
282/3	0.30
282/2	0.80
योग . .	1.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन के कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 891-कलेक्टर-भू.अ.-2012-2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—छपारा

(ग) ग्राम—गोरखपुर, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215	0.18
218	2.11
योग . .	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-1, सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—जबलपुर

(ग) ग्राम—ग्वारीघाट न. बं. 603, प.ह.नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.133 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53/1	0.015
56	0.032
63/1	0.017
63/2	0.014
64	0.030
65	0.008
66/1	0.007
66/2	0.005
66/3	0.005
योग . .	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खारीघाट से सांई धाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 520-प्र.क्र. 8-अ-82-2010-11-1749.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—ब्यौहारी

(ग) ग्राम—बुड़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.065 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
422/1ख	0.065
योग . .	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ग्राम बुड़वा की 0.065 हेक्टर निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 595-वाचक-प्र.क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—सिरसाला (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.360 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (निजी)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
162/1	0.360
योग . .	0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 138630 मी. पर नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 603-वाचक-प्र.क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—एहमदपुर (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.216 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
71/3	0.026
71/2/1/2	0.130
129/1/2	0.050
129/2	0.010
योग . .	0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. डी. व्हाय 12 की वितरण नहर के अन्तर्गत आर.डी. 800 से 3600 मी. तक एवं उपनहर एम. एल. 1 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 21-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—दुबहाटांका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.208 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
206	0.170	0.020
207	0.830	0.070
95	0.360	0.066
92	0.650	0.115
93	0.350	0.004
89	0.340	0.027
90	0.390	0.045
87	0.500	0.072
88	0.760	0.087

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
247	0.530	0.005	1952/3	0.190	0.033
081	1.000	0.133	1952/4	0.190	0.033
80	0.170	0.030	1950	1.190	0.126
79	1.060	0.087	1927	0.280	0.055
589	0.200	0.036	1929	0.300	0.019
590	0.430	0.072	96	1.190	0.180
602	0.180	0.066	97	0.400	0.060
598	0.240	0.005	31	1.380	0.190
600	0.160	0.012	32	0.520	0.005
601	0.060	0.036	30	0.410	0.053
609	0.470	0.072	27	0.440	0.061
612	0.650	0.003	28	0.400	0.072
611	0.290	0.007	26	0.490	0.109
610	0.200	0.095	24	0.900	0.022
597	0.600	0.110	25	0.470	0.120
614	1.590	0.114	373	0.880	0.080
618	0.790	0.078	375	0.610	0.081
619	0.400	0.048	376	0.990	0.240
620	0.360	0.129	387	0.580	0.053
1538	0.270	0.054	390	0.200	0.94
1537	0.120	0.015	391	0.620	0.140
1505	0.330	0.018	393	0.390	0.090
1507	0.460	0.066	392	0.380	0.110
1508	0.280	0.042	394	0.320	0.070
359	0.520	0.030	478/2	0.400	0.120
360	0.470	0.072	480	0.780	0.144
519	0.760	0.063	481	0.710	0.168
520	0.510	0.036	482	0.720	0.002
521	1.280	0.079	477	1.140	0.022
517	0.280	0.006	476	0.610	0.120
511	0.910	0.185	475	0.280	0.080
524	0.520	0.090	1657	1.060	0.005
525	0.260	0.042	1665	0.850	0.220
526	0.430	0.015	1664	0.600	0.070
1585	0.430	0.135	1666	0.510	0.040
1575/1	0.150	0.043	1661	0.770	0.170
1575/2	0.160	0.043	1740	0.630	0.074
1584	0.290	0.022	1742	1.120	0.220
1576	0.800	0.216	1738	1.460	0.100
1577	0.180	0.028	1753	0.560	0.032
1578	0.190	0.049	1754	0.840	0.154
1580	0.880	0.126	1768	0.540	0.055
1952/1	0.400	0.066	1769	0.380	0.095
1952/2	0.040	0.066	1770	0.450	0.064
			1772	0.440	0.045

(1)	(2)	(3)
1771	0.630	0.135
1777	0.740	0.144
1776	0.270	0.024
1846	0.830	0.036
1847	0.680	0.152
1832	1.020	0.136
1849	0.670	0.136
1862	0.210	0.032
1964	1.040	0.036
1963	0.377	0.140
	योग . .	8.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—पिपरौआ
(घ) क्षेत्रफल —12.504 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
784	0.983	0.212
782	2.330	0.031
785	1.139	0.182
822	0.836	0.178
821	0.836	0.127
799	3.490	0.059
820	1.682	0.102
800 Min	0.941	0.161
801	3.115	0.340
794	1.369	0.042
1062	0.575	0.110
1059	1.327	0.173
1063	1.787	0.048
1964 Min	1.160	0.170
1064 Min	1.045	0.170
691	0.596	0.144
701	2.028	0.027
700	0.386	0.108
699	0.679	0.151
697 Min	0.418	0.079
696	0.251	0.094
646	0.105	0.022
633	0.439	0.137
634	0.094	0.029
630 Min	0.178	0.007
631	0.178	0.043
629	0.386	0.101
748/1	1.345	0.022
746	1.129	0.187
745 min	0.627	0.086
744	0.972	0.202
742	0.658	0.130
734	0.136	0.091
735	0.345	0.007
736 min	0.476	0.109
736 min	0.475	0.109
885	0.567	0.121
883	0.919	0.166
884	0.919	0.091
882	0.544	0.043
866	2.905	0.216
864	1.003	0.122
863	0.031	0.029
861	0.836	0.079
1035	2.382	0.115
1038	0.543	0.151
1039	0.898	0.158
1040	1.316	0.072
1070/1	0.663	0.124
1070/2	0.664	0.124

(1)	(2)	(3)
1071	0.941	0.094
1074 min	1.045	0.115
1074 min	1.045	0.115
1077 min	1.463	0.158
1077 min	0.334	0.158
1136	1.976	0.158
1144	1.160	0.209
1145	1.171	0.158
1151	0.627	0.130
1150	0.627	0.151
1068	0.105	0.036
1149	0.669	0.014
1153	1.545	0.014
1154	1.035	0.238
1155	1.086	0.144
1156 min	1.150	0.108
1156 min	0.166	0.108
1219 min	6.803	0.252
1216	1.922	0.324
1215	2.194	0.094
27	0.314	0.015
28	0.240	0.015
29	0.710	0.203
34	0.919	0.105
36	0.240	0.145
37	1.327	0.060
32/1	0.616	0.040
32/2	1.181	0.042
44	0.668	0.013
46	0.679	0.048
47	0.314	0.032
53	0.428	0.110
54/2	0.239	0.057
54/3	0.063	0.063
56 min	0.209	0.045
56 min	0.157	0.045
58	0.345	0.052
59/1	0.418	0.119
59/2	0.418	0.119
59/3	0.209	0.021
60	0.418	0.015
61 min	0.251	0.067
61 min	0.188	0.033
61 min	0.094	0.017
61 min	0.094	0.017
62 min	0.627	0.032
62 min	0.209	0.041
62 min	0.418	0.085
63	1.024	0.049
151	0.125	0.046
185	4.066	0.407
192	2.779	0.360
10		0.804
23		0.097
57		0.707
	योग . .	12.504

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—छिदा
(घ) क्षेत्रफल—1.596 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
3/1 Min-4	0.291	0.115
27	4.128	0.418
28/2	0.627	0.004
26 Min-2	0.423	0.065

(1)	(2)	(3)
26 Min-1	1.504	0.126
25	1.585	0.166
24 Min-1	0.669	0.058
24 Min	0.878	0.058
10/2 Min 2	1.275	0.310
22/4 Min	2.466	0.240
49	0.742	0.016
20 Min 6	0.209	0.020
	योग . .	1.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—देवरीटांका
(घ) कुल लगभग—2.388 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
34	0.230	0.019
35	1.944	0.270
36	0.921	0.105
37	0.617	0.090
48/1 Min-1	0.820	0.123
48/ Min 2	0.821	0.123
50/1 Min 1	0.262	0.029
50/1 Min 2	0.261	0.028
50/1 Min 3	0.261	0.028
50/1 Min 4	0.261	0.028
50/2	0.209	0.028
59	0.230	0.113
60	0.931	0.022
38	1.860	0.148
39 Min 1	0.419	0.028
39 Min 2	0.419	0.029
39 Min	1.150	0.029
41 Min 3	0.739	0.087
41 Min 1	0.738	0.087
40	0.732	0.026
27	1.359	0.216
9/1	0.941	0.079
9/2	0.627	0.079
6	1.850	0.244
5	2.518	0.230
4	1.359	0.100
	योग . .	2.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—दुबहाटांका

(घ) कुल क्षेत्रफल—1.446 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
2550	0.15	0.060
2551	0.24	0.087
2553	1.20	0.175
2559	0.64	0.085
2560	0.66	0.085
2561	0.65	0.087
2565	0.73	0.150
2566	0.34	0.092
2570	1.95	0.215
2573	0.20	0.057
2574	0.35	0.025
2576	0.34	0.130
2577	0.35	0.028
2594	1.22	0.170
	योग . .	1.446

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—मेंहगांव

(घ) कुल क्षेत्रफल—7.571 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1391	1.766	0.357
1393	0.679	0.167
1443 मिन	3.972	0.631
1444	0.543	0.140
1439	3.427	0.503
1456	2.362	0.011
1459	1.150	0.052
1460	0.784	0.289
1461	0.595	0.034
1462	0.512	0.225
1466	0.658	0.034
1469	0.721	0..005
1470	1.631	0.267
957	0.867	0.22
949 मिन	0.921	0.125
947	0.742	0.130
942 मिन	0.794	0.125
943	0.658	0.106
944	3.417	0.257
932	1.349	0.160
933	0.127	0.003
927 मिन	0.293	0.010
926	0.627	0.160
925	0.795	0.213
919	0.898	0.176
918	0.376	0.020
877	1.651	0.045
878	0.418	0.064
879	1.264	0.136
1050	0.460	0.062
1051	1.097	0.110
1026	1.860	0.137
1134	0.272	0.049
1133	0.418	0.062
1132	0.533	0.070
1142	0.178	0.005
1143	0.543	0.073
1141	0.951	0.085

(1)	(2)	(3)
1149	0.449	0.051
1150	0.502	0.088
1151	0.921	0.032
1152 मिन	1.692	0.191
1166	0.930	0.181
1163	0.178	0.037
1160	0.658	0.077
1321	1.223	0.082
1323	1.390	0.024
1324	0.345	0.051
1332 मिन	1.756	0.135
1331 मिन	1.703	0.160
1345	1.275	0.166
1344 मिन	1.024	0.135
1343	0.920	0.078
1364 मिन	0.585	0.072
1365	0.617	0.048
1366	3.386	0.150
1367	1.171	0.155
1389	2.006	0.327
1390	0.052	0.013
	योग . .	7.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—श्यामपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.674 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
2	1.829	0.078
12	1.505	0.197
13	1.004	0.065
14	1.181	0.077
15 मिन	1.192	0.257
	योग . .	0.674

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 4176-भू-अर्जन-2012-ब्यावरा.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—1. मोतीपुरा, 2. खरेटियाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.278 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—मोतीपुरा	
163/1	0.039
230/1	0.032
योग :	0.071
ग्राम—खरेटियाखुर्द	
143/1/3/1	0.087
143/2/1	0.120
योग :	0.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मोतीपुरा तालाब के नहर निर्माण के कार्य हेतु शेष बची भूमि में छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4181-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—मेहराजपुरा, बरूखेड़ी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.833 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—मेहराजपुरा	
292/16	0.312
292/65	0.025
292/71	0.090
292/68	0.230
292/73	0.480
योग :	1.137
ग्राम—बरूखेड़ी	
121/32	0.136
121/33	0.150
121/35	0.090
121/43	0.320
योग :	0.696
कुल योग :	1.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटारमल तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4185-भू-अर्जन-7.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—रूगनाथपुरा, चुवाड़ल्या एवं प्रेमपुरा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.058 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—रूगनाथपुरा	
25	0.120
29	0.140
30	0.050
39	0.012

(1)	(2)
169/78	0.060
31	0.068
126/78	0.080
130/78	0.036
	योग : 0.566

ग्राम—चुवाड़लिया

49/3/3	0.024
84/49	0.024
	योग : 0.048

ग्राम—प्रेमपुरा

151/1	0.132
151/2	0.012
151/3/1	0.056
151/3/2	0.056
152	0.188
	योग : 0.444
	महायोग : 01.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रघुनाथपुरा सिंचाई योजना, तहसील खिलचीपुर की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिचलीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4187-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—भूमरिया, हरिपुरा एवं नयापुरा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—25.642 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—भूमरिया	
435/1/2	0.253
435/1/3	0.175
436/2	0.180
437	0.220
414/1	0.020
414/2	0.120
68	0.040
23	0.080
63	0.070
64	0.050
69/1	0.020
69/2	0.025
70/1/1	0.044
70/1/2	0.013
77	0.080
79	0.140
86	0.012
87	0.040
91	0.192
92	0.040
318	0.130
161	0.104
149	0.140
159	0.112
156/1	0.114
156/2	0.057
155/1	0.040
155/2	0.040
150	0.096
152	0.168
145/2	0.168
144	0.140
139	0.120

(1)	(2)
138	0.101
140	0.220
464	0.060
462	0.080
474/13	0.051
458	0.012
459	0.152
460	0.060
70/2	0.090
योग ग्राम भूमरिया :	5.494

ग्राम—नयापुरा

62	0.120
63/1	0.190
61	0.032
63/2	0.020
योग ग्राम नयापुरा :	0.362

ग्राम—हरिपुरा

14/3/6	0.290
14/3/8	0.190
14/3/9	0.260
14/3/10	0.250
14/3/14	0.040
14/3/15	0.020
86/3	0.072
84/1/4	0.060
391/2	0.192
82	0.040
390	0.072
416/392	0.170
79	0.080
77	0.012
63	0.128
167	0.160
375	0.148
64	0.192
374	0.140
65	0.024
157	0.160
166	0.076
171	0.152
172	0.056
366	0.080
368	0.116
369/1	0.028
378	0.280
379/1	0.024
454/392	0.070
369/2	0.028
391/2	0.072
388	0.112
386/1/1	0.016
436/392	0.025
396	0.168
80	0.025
389	0.072
योग ग्राम हरिपुरा :	2.184
कुल रकबा :	8.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भूमरिया तालाब के वेस्टवियर एवं नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिचलीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगौन, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 545-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगौन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—चंदनपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा 1.491 हेक्टेयर (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की).

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.350
234	1.141
योग :	1.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगौन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगौन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 546-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगौन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—सैलानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा 0.393 हेक्टेयर (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की).

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217	0.088
217	0.305
योग :	0.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 547-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—जामला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा 1.125 हेक्टेयर (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की).

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.155
96	0.300
96	0.180

(1)	(2)
96	0.420
96	0.070
योग :	1.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 548-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—भिखारखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.785 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/1	0.050
56/3	0.385
56/4	0.350
57/2	1.000
योग :	1.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 1382-भू-अर्जन-2012- रा.प्र.क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—देहण्डीबडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.23 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
304	0.17
305	0.05
336/1	0.05
336/2	0.32
343	0.35
345	0.37
346	0.05
359	0.08
360	0.22
364/2	0.05
365	0.32
382	0.10

(1)	(2)
383/1	0.12
383/2	0.14
384/1	0.15
384/2	0.05
385	0.05
389	0.17
390	0.13
392	0.06
393/1	0.07
393/2	0.16
योग :	3.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर-1 के निर्माण होने से ग्राम देहण्डीबडी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.23 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटवावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 1384-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र. 19-अ-82-10-11.—इस कार्यालय की उद्घोषणा क्रमांक 1660-भू-अर्जन-2011-झाबुआ, दिनांक 25 मई 11 के अनुक्रमांक 10, 11, 12 एवं 13 में अंकित सर्वे नम्बरों का रकबा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 एवं समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 10 जून 2011 तथा राज एक्सप्रेस में दिनांक 10 जून 2011 में--

सर्वे नम्बर	रकबा
910/2	0.02
908	0.20
909	0.11
1320	0.03

का रकबा त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है. जिसे विलोपित कर निम्नानुसार उद्घोषणा में पुनः संशोधित सही रकबा कालम नं. 6 में पढ़ा जायें.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—मोर

अ.क्र	पूर्व में प्रकाशित			संशोधित रकबा	
	सर्वे नम्बर	रकबा		सर्वे नम्बर सही रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	910/2	0.02	विलोपित	910/2	0.01
2	908	0.20	विलोपित	908	0.02
3	909	0.11	विलोपित	909	0.20
4	1320	0.03	विलोपित	1320	0.11

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 1386-भू-अर्जन-2012-माही-रा.प्र.क्र. 22-अ-82-10-11.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1329/भू-अर्जन-2010/झाबुआ, दिनांक 31 मई 2011 द्वारा ग्राम बाछीखेड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 5.86 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक के पृष्ठ क्रमांक 1767, दिनांक 20-5-11 पर तथा हिन्दी समाचार-पत्र नईदुनिया में दिनांक 13-5-11 एवं प्रसारण में दिनांक 15-5-11 को जी नम्बर 12998/11 द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रकाशित प्रविष्ठियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जानी है:—

अनुसूची

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)	
	पूर्व प्रकाशित	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)	(3)
2178	0.10	विलोपित
1615/1	0.16	0.16
1586	0.10	0.10
2297 पै.	0.06	0.06
1147	0.11	0.11
1148	0.06	0.06
1150/2	0.06	0.06
2279	0.24	विलोपित
2279	0.16	विलोपित

(1)	(2)	(3)
1587/2	0.22	0.22
2235	0.36	0.36
2247	0.16	0.16
2295/1पै.	0.06	0.06
2246	0.37	0.37
2158/2	0.16	विलोपित
1587/1	0.16	0.16
1639	0.16	0.16
2180	0.47	विलोपित
2232	0.11	0.11
2245	0.04	0.04
2133	0.22	विलोपित
2231	0.08	विलोपित
2158/1	0.21	विलोपित
791	0.15	विलोपित
792	0.35	विलोपित
793	0.12	विलोपित
795	0.30	विलोपित
796	0.05	विलोपित
805	0.06	विलोपित
809	0.35	विलोपित
811	0.15	विलोपित
816	0.50	विलोपित
2055	–	0.15
2059	–	0.10
2142	–	0.05
2381	–	0.06
711	–	0.02
712	–	0.02
713	–	0.03
715/1	–	0.02
715/2	–	0.04
715/3	–	0.02
716	–	0.12
718/1	–	0.03
718/2	–	0.03
718/3	–	0.03
718/4	–	0.01
719/4/1	–	0.01
720	–	0.19
721	–	0.06
722	–	0.05
723/2/2	–	0.02
724/1	–	0.02
724/2	–	0.22
725/1	–	0.09
725/2	–	0.05
726	–	0.08
761/1	–	0.24
760	–	0.19
योग	: 5.86	4.14

झाबुआ, दिनांक 19 अप्रैल 2012

संशोधन-पत्र

क्र. 1405-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र. 02-अ-82-2010-11—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-10-11.—ग्राम करवड़ कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. 10, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के संशोधन-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 (साधारण) के पृष्ठ क्र. 416-417 दिनांक 10 फरवरी 2012 को हुआ है. जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावें :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—करवड़

निजी भूमि

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां		संशोधित/नवीन प्रविष्टियां	
सर्वे नम्बर (1)	अर्जित भूमि का रकबा (2)	सर्वे नम्बर (3)	अर्जित भूमि का रकबा (4)
1759/2	0.05	1759/3	0.05

नोट :—पूर्व में प्रकाशित शेष सभी प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 577-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—खरगोन

(ग) ग्राम—बगुद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.103 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
268/2/2	0.124
270/2/2	0.105
270/1/1	0.030
268/1/1	0.086
268/1/2	0.020
430/2	0.150
419	0.022
439	0.090
268/2/1	0.256
270/2/1	0.115
269/2/2	0.231
269/3/3	0.304
331/2, 331/3	0.303
335/2	0.081
337/3	0.278
338/1	0.850
397/2	0.058
योग :	3.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—नंदगांव तालाब योजना के डूब क्षेत्र के मार्ग एवं स्पील चेनल के मटेरियल डम्पिग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 3123-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.557 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—कस्बा उज्जैन	
654	0.137
653, 656, 657	0.042
658	0.015
659	0.157
660	0.052
661	0.015
662	0.045
666/1 मी.	0.078
667	0.021
कुल रकबा योग . .	0.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कबीर घाट हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभगीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.